

# न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार बाड़ी

मु.नं: 06/2010

निर्णय दिनांक 25/01/2018

उनवान:- साचल वगत ल्होरी

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी

हल्का सकलकावद ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी

खसरा नम्बर 693/496 रकबा 1-00 बीघा किस्म चाणगाह

बारे ग्राम काडकुल पर श्रीमती ल्होरी पुत्र बाबुलाल

जाति कोक निवासी काडकुल तहसील बाड़ी

ने सम्बर 2024 रबी/खरीफ में फसल गेहूँ कर

अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि 1956 की

धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी नहीं आया

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी श्रीमती ल्होरी पुत्र बाबुलाल

जाति कोक निवासी काडकुल को आ. ख. नं. 693/496

रकबा 1-00 बीघा वारे ग्राम काडकुल से तुरन्त प्रभाव से

बेदखल किया जाता है तथा लगान का 50 गुना शास्ती राशि 225/- (अक्षरे

अपेय वे. हा. फरवी प्रकाश आरोपित की जाती है। पैन्लटी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू. अभि. निको लिखा जावे। T R A को मतालवा कायम कराया जावे। इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

फैसला आल दिनांक 25/01/2018 को

खुले इजलास पढकर सुनाया गया।

पुन  
तहसीलदार  
न्यायालय बाड़ी (सोलापुर) राज.

225-4  
पति राशि  
दिनांक है कब तक  
की कब तक  
24/18  
2